न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम   श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 374 सन 2020

अनवान :-

1. मोहनदास पत्र माधादास जाति स्वामी निवासी गिराजसर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 20/1/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की वादी के नाम रोही मौजा रेख मालिया के खाता संख्या 104 / 99 की भूमि में वादी का नाम मोहनदास पुत्र मघदास व खाता संख्या 107 / 101 की भूमि में वादी का नाम मोहना पुत्र मघा तथा रोही मौजा रेख जिन्दासर के खाता संख्या 41 / 33 की भूमि में मोमनदास पुत्र महादादास एव रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 72 / 73 की भूमि में मोहनदास पुत्र माधादास दर्ज किया हुआ

उक्त भूमि मे वादी का नाम मोहनदास पुत्र मघदास , मोहना पुत्र मघा , मोमनदास पुत्र महादादास , मोहनदास पुत्र माधादास अलग अलग दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम मोहनदास पुत्र माधादास है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम मोहनदास पुत्र माधादास है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम मोहनदास पुत्र माधादास दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मोहनदास पुत्र मघदास , मोहना पुत्र मघा , मोमनदास पुत्र महादादास , मोहनदास पुत्र माधादास अलग अलग दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड मे नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अत वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर मोहनदास पुत्र मघदास , मोहना पुत्र मघा , मोमनदास पुत्र महादादास , मोहनदास पुत्र माधादास के स्थान पर मोहनदास पुत्र माधादास संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेशेकार राज उपस्थित होकर निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शमिल मिसल किया गया। उभयपक्षो की बहस सुनी ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपने वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के नाम रोही मौजा रेख मालिया के खाता संख्या 104 / 99 की भूमि मे वादी का नाम मोहनदास पुत्र मघदास व खाता संख्या 107 / 101 की भूमि मे वादी का नाम मोहना पुत्र मघा तथा रोही मौजा रेख जिन्दासर के खाता संख्या 41 / 33 की भूमि मे मोमनदास पुत्र महादादास एव रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 72 / 73 की भूमि मे मोहनदास पुत्र माधादास दर्ज किया हुआ

उक्त भूमि मे वादी का नाम मोहनदास पुत्र मघदास , मोहना पुत्र मघा , मोमनदास पुत्र महादादास , मोहनदास पुत्र माधादास अलग अलग दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम मोहनदास पुत्र माधादास है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम

Scanned with CamScanner

गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम मोहनदास पुत्र माधादास है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी मे वादी का नाम मोहनदास पुत्र माधादास दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मोहनदास पुत्र मधदास , मोहना पुत्र मधा , मोमनदास पुत्र महादादास , मोहनदास पुत्र माधादास अलग अलग दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है वादी का वाद डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार रोही मौजा रेख मालिया के खाता संख्या 104/99 की भूमि में वादी का नाम मोहनदास पुत्र मधदास व खाता संख्या 107/101 की भूमि में वादी का नाम मोहना पुत्र मधा तथा रोही मौजा रेख जिन्दासर के खाता संख्या 41/33 की भूमि में मोमनदास पुत्र महादादास एव रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 72/73 की भूमि में मोहनदास पुत्र माधादास दर्ज किया हुआ

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय मोहनदास पत्रु माधादास के स्थान पर मोहनदास पुत्र मधदास , मोहना पुत्र मधा , मोमनदास पुत्र महादादास , मोहनदास पुत्र माधादास अलग अलग दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम मोहनदास पत्रु माधादास दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम मोहनदास पत्रु माधादास होना प्रतित होता है प्रस्तुत दस्तावेजात /शपथ पत्र के आधार पर वादी का नाम संशोधन किया जा सकता है

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र /पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत /वादी के शपथ पत्र/सरपंच ग्राम पंचायचत की तस्दीक/ पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेख मालिया के खाता संख्या 104/99 की भूमि में वादी का नाम मोहनदास पुत्र मधदास व खाता संख्या 107/101 की भूमि में वादी का नाम मोहना पुत्र मधा तथा रोही मौजा रेख जिन्दासर के खाता संख्या 41/33 की भूमि में मोमनदास पुत्र महादादास एव रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 72/73 की भूमि में मोहनदास पुत्र माधादास के स्थान पर सभी खातो में मोहनदास पुत्र माधादास उर्फ भगवानदास संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरमीम तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/07/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

आज अदालत :– श्रीमती श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. मोहनदास पुत्र माधादास जाति स्वामी निवासी गिराजसर तहसील नोहर। **वादी**

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ। **प्रतिवादी**

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 374 सन 2022 निर्णय दिनांक– 20/7/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेख मालिया के खाता संख्या 104/99 की भूमि में वादी का नाम मोहनदास पुत्र मधदास व खाता संख्या 107/101 की भूमि में वादी का नाम मोहना पुत्र मधा तथा रोही मौजा रेख जिन्द्रासर के खाता संख्या 41/33 की भूमि में मोगनदास पुत्र महादादास एव रोही मौजा गिराजसर के खाता संख्या 72/73 की भूमि में मोहनदास पुत्र माधादास के स्थान पर सभी खातो में मोहनदास पुत्र माघादास उर्फ भगवानदास संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/7/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner